

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

बी० कौ० ओझा,  
विशेष निदेशक, मा० शिक्षा।

सेवा में,

अध्यक्ष,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,  
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्पुनिटी सेंटर,  
नई दिल्ली-110092

विषय : आर० पी० एस० गर्ल्स पब्लिक स्कूल, सगुना मोड़, खगौल रोड, दानापुर, पटना  
को अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में।

पटना, दिनांक .....

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि आर० पी० एस० गर्ल्स पब्लिक  
स्कूल, सगुना मोड़, खगौल रोड, दानापुर, पटना को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के संबंध में संबंधित  
जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जांच प्रतिवेदन एवं प्रतिवेदन के साथ संलग्न उक्त  
विद्यालय प्रबंधन के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों/कागजातों की समीक्षा विभाग की सक्षम समिति द्वारा की  
गयी एवं विद्यालय की स्थिति निम्न प्रकार पाई गई :-

1. यह विद्यालय आर० पी० एस० रेसिडेंसियल पब्लिक स्कूल सोसायटी के अधीन संचालित है।  
इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का व्यौरा  
दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय प्रबंधक द्वारा किसी अन्य निवारित सोसाइटी/न्यास के फ्रेन्चाईजी अथवा किसी  
विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
3. आर० पी० एस० रेसिडेंसियल पब्लिक स्कूल सोसायटी का 50 डिं० भूखण्ड अपने नाम से  
और 152 डिं० भूखण्ड 35 वर्षों के लीज पर उपलब्ध है। कुल भूमि 2.02 एकड़ है। सभी प्लौट एक  
दूसरे से सटा हुआ है। विद्यालय में पर्याप्त उपस्कर पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है।  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की  
आधारभूत संरचना एवं सुविधाएँ बोर्ड के मानक के अनुरूप हैं अथवा नहीं।
4. विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा  
किया गया है। विद्यालय में 15 शिक्षक हैं। सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना  
होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप हैं  
अथवा नहीं।
5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष  
सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे  
इसे सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।
7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना  
संख्या-238, दिनांक 04.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्तें स्वीकार हैं।

M. Thakur

**PRINCIPAL**  
**R.P.S. Girls' Public School**  
**Khagaul Road, Patna-801503**

**अपेक्षित शर्तों के अनुसार :-**

- (i) विद्यालय में कुल क्षमता का 25 प्रतिशत निःशुल्क नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनु० जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय प्रतिवर्ष ₹2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) से कम होगा, को रखा गया है।
- (ii) विद्यालय में नर्सरी/के० जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।
- (iii) नर्सरी/के०जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी तीन किलोमीटर तक रहेगी।
- (iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया है, फिर भी सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्प्रेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक-46, दिनांक 18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

उपरोक्त तथ्यों/वर्णित शर्तों के आलोक में सक्षम समिति के निर्णयानुसार आर० पी० एस० गर्ल्स पब्लिक स्कूल, सगुना मोड़, खगौल रोड, दानापुर, पटना को सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दी जाती है।

**अनुलग्नक :-** जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना का जाँच प्रतिवेदन संलग्न।

विश्वासभाजन

ह०/-

(बी० के० ओझा)

विशेष निदेशक, मा० शिक्षा।

ज्ञापांक..... दिनांक.....

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना को उनके पत्रांक 413 दिनांक 19.02.2012 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

विशेष निदेशक, मा० शिक्षा।

ज्ञापांक..... / 603 दिनांक..... 24/5/2012

प्रतिलिपि प्राचार्य, आर० पी० एस० गर्ल्स पब्लिक स्कूल, सगुना मोड़, खगौल रोड, दानापुर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष निदेशक, मा० शिक्षा।

M. Thakur

PRINCIPAL  
R.P.S. Girls' Public School  
Khagaul Road, Patna-801503